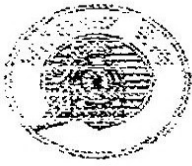


4 pages

458

पूर्वोत्तर रेलवे



1
26/2/2017

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०सं०-2-26

क्रमांक-262/2017

आरबीई सं०-189/2017

सं० ई/227/2/भाग-15/चार

दिनांक 20-12-2017

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष,

अध्यक्ष/नरसा

सचिव/नरसा

वरिष्ठ कीड़ा अधिकारी,

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक,

सभी कार्मिक अधिकारी,

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना,

पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-खेल-कूद कोटे के अन्तर्गत भर्ती।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं०.2017/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/15/सिस्टम दिनांक 05.12.2017 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू० पी० सिंह)

उपमुकाधि/अराज.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

No. 2017/E(Sports)/4(3)/15/System

New Delhi, dated 05.12.2017

The General Managers (P),

All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO(R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.

विषय: Recruitment against Sports Quota.

सन्दर्भ: Board's letter No. Board's letter No.2010/E(Sports)/4(1)/1/Policy dated
31.12.2010 (RBE No. 189B/2010).

Attention is invited to para 8.2.7 of Board's letter No.2010/E(Sports)/4(1)/1/Policy dated 31.12.2010 (amended from time to time) inter-alia specifying that after receiving applications, screening of applications is to be done by a Committee consisting of a Personnel Officer and an ASO/Sports Officer/Sports In-charge of the Railway.

In a sports recruitment held by one of the Zonal Railways, it has been noticed that only single officer viz. ASO was nominated for screening of applications. A candidate who didn't attach even date of birth certificate and educational qualification certificates with the application was called for trial. Some candidates while appearing for trial didn't produce original certificates regarding their sports achievements but were subjected to trial.

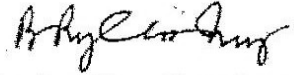
The action of the screening committee has been scrutinized by the vigilance and it has been decided that following may be adopted:

- (i) Recruitment Committee may be constituted before constitution of 'Scrutiny committee' so that the 'Scrutiny Committee' may take guidance from 'Recruitment Committee' in screening of application, when required.
- (ii) The notification for Open Advertisement should specify the cut- off date for fulfillment of applicants for the age, educational and sports norms. The notification should also specify the self attested copies of acceptable documents and photograph which must be submitted alongwith the applications.
- (iii) A Personnel Officer alongwith another officer may be nominated by the Recruitment Committee who will also verify the documents of the applicants appearing in trials. The officers so nominated will also ensure that there is no case of impersonation at the time of trial.

This may be ensured by all concerned during the sports recruitment.

— 2 —

Please acknowledge receipt.

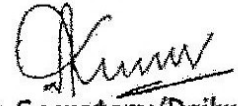

(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director/ Estt.(Sports)

No. 2017/E(Sports)/4(3)/15/System

New Delhi, dated 05.11.2017

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi.
3. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employee Association, 7-GF, Ground Floor, Rail Bhavan, New Delhi.
4. The General Secretary, All India OBC Railway Employees' Association, Room No.48, Rail Bhavan, New Delhi.


For Secretary/Railway Board

Copy to:

1. The FA&CAO, All Zonal Railways and Production Units.
2. The Hony. General Secretaries, Sports Associations of all Zonal Railways/ Production Units.
3. PPSs/PSs to CRB; MS; AM(S); Adv.(IR); ED/E(N); ED(E); ED/E(Res.); ED/F(E); D/E(N); JD/E(N); JD/E(Rep.)-I&II; JD/E(W); DD/E(N)I&II; DD/E(R)-I&II; DD/F(E)-I,II&III; and E(Rep.)-I,II&III; E(SCT)I&II; E(NG)I&II; and F/E(Spl.) Branches in Board's office.

3
26/2/2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2017/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/15/सिस्टम

नई दिल्ली, दिनांक 05.12.2017

महाप्रबंधक (पी),

सभी क्षेत्रीय रेलें

चि.रे.का., डी.रे.का., स.डि.का., रे.को.फै., आरडब्ल्यूएफ, मेट्रो रेलवे/कोलकाता,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), डीएमडब्ल्यू/पटियाला,

महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ

विषय: खेल-कूद कोटे के अंतर्गत भर्ती।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पॉलिसी
(आरबीई सं. 189बी/2010).

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 31.12.2010 के पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पॉलिसी (समय-समय पर संशोधित) के पैरा 8.2.7 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह स्पष्ट किया गया था कि आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् इन आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग एक समिति, द्वारा की जाएगी जिसमें एक कार्मिक अधिकारी और रेलवे के एसओ/स्पोर्ट्स अधिकारी/स्पोर्ट्स प्रभारी शामिल होंगे।

किसी एक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा की गई खेल-कूद भर्ती में यह नोटिस किया गया है कि आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए केवल एकल अधिकारी यथा एसओ को नामित किया गया था। एक आवेदक, जिसने आवेदन पत्र के साथ जन्म प्रमाण-पत्र और शैक्षणिक अर्हता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किए थे, को भी ट्रायल के लिए बुलाया गया था। कुछ आवेदकों, जो ट्रायल में भाग ले रहे थे, ने भी अपनी खेल-कूद संबंधी उपलब्धियों के मूल-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे, फिर भी उन्हें ट्रायल में बुलाया गया था।

स्क्रीनिंग समिति की इस कार्यवाई की सतर्कता द्वारा संवीक्षा की गई है और निम्नलिखित को अपनाने का विनिश्चय किया गया है:-

- (i) संवीक्षा समिति के गठन से पहले भर्ती समिति का गठन किया जाए ताकि संवीक्षा समिति आवेदनों की स्क्रीनिंग करने के लिए भर्ती समिति से, जब कभी अपेक्षित हो, दिशा-निर्देश प्राप्त कर सके।

- 2 -

(ii) खुले विज्ञापन के लिए अधिसूचना में आवेदकों की आयु, शैक्षणिक तथा खेल-कूद संबंधी जानकारी पूरा करने के लिए अंतिम तारीख स्पष्ट की जानी चाहिए। इस अधिसूचना में स्वीकृति योग्य दस्तावेजों की स्व सत्यापित प्रतियाँ और फोटो का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, जिन्हें आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना है।

(iii) भर्ती समिति द्वारा, कार्मिक अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी नामित किया जाना चाहिए, जो ट्रायल में भाग ले रहे आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। नामित किए गए अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रायल के समय वास्तविक आवेदक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के होने का कोई मामला न हो।

सभी संबंधितों द्वारा खेल-कूद भर्ती के दौरान इसे सुनिश्चित किया जाए।

कृपया पावती दें।

(भास्कर रॉय चौधरी)

उप निदेशक/स्थापना (स्पोर्ट्स)

सं. 2017/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/15/सिस्टम

नई दिल्ली, दिनांक 05.11.2017.

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
3. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, 7-जीएफ, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन कुमार
कृते सचिव रेलवे बोर्ड